फर्द अहकाम
(नियम 133)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

## संदीप आदि बनाम राजेन्द्र कुमार आदि

अन्तर्गत धारा :– धारा 88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या :– 136 / 2020

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी |
|---|---|
| 21.07.2020 यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री बलराम गोदारा अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। सरिश्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 03.09.2020 को पेश हो।<br><br>(कपिल यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)<br>एवम् पदेन सहायक कलक्टर<br>हनुमानगढ। | सम्मन जारी 30/2020 |
| 27.07.2020 वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री ओमप्रकाश बेनीवाल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा मय साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो खुले न्यायालय में पढ़ कर सुनाये जानें पर उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किये जानें पर राजीनामा पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करवाये गये उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।<br>प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं होनें से बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जानें के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया।<br>पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(कपिल यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी एवम्<br>पदेन सहायक कलक्टर | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.08.05 17:16:35 IST
Reason: SelfAttested